



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- वसूली/प.(1)/89/273

दिनांक :- 10/03/2023

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर
वृत्त-प्रथम/द्वितीय, जोधपुर/कोटा/
अलवर/उदयपुर/बीकानेर।

विषय :- बकाया लीज राशि व मासिक किश्तें जमा कराने बाबत।

महोदय,

यह देखा गया है, कि आपके अधीन वृत्त/खण्ड कार्यालयों से वसूली बहुत कम हो रही है, इसलिए बकाया लीज राशि व मासिक किश्तें अधिक से अधिक वसूली करने का प्रसाय करें, जिससे वसूली लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकें, इस सन्दर्भ में आवंटियों को वसूली बाबत नोटिस जारी करें तथा आवासन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 31.03.23 तक बकाया राशि जमा नहीं करने पर कुर्की भी की जा सकती है, इस बाबत भी आवंटियों को निर्देशित किया जावे।

— 24 —
उप वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड रा.आ.मं.
6. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।

— 24 —
उप वित्तीय सलाहकार